छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / 10394 / छगवेका / स्था0(BOD -4) / 2023–24 / नवा रायपुर दिनांक– 29.09.23

–:: आदेश ::–

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में कार्यरत नियमित अधिकारी / कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति / संविदा / जॉबवर्क सहित) को दीपावली पर्व 2023 के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने के प्रस्ताव को संचालक मण्डल की 52वीं बैठक दिनांक 22.09.2023, के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रमांक 52.17 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः 30 सितम्बर 2023 तक निगम में कार्यरत रहे अधिकारी / कर्मचारियों को (प्रतिनियुक्ति / संविदा / जॉबवर्क सहित) दीपावली पर्व 2023 हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 01 माह का मूल वेतन (मार्च 2023 की स्थिति में) निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

1. जिन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध कैलेण्डर वर्ष के दौरान (01 जनवरी 2023 से 30 सितम्बर 2023 के मध्य) में विभागीय जॉच संस्थित की गई है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
2. कैलेण्डर वर्ष के दौरान (01 जनवरी 2023 से 30 सितम्बर 2023 के मध्य) किसी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के दण्डादेश जारी होने से पात्रता नहीं होगी, किन्तु प्रोत्साहन राशि स्वीकृति दिनांक तक यदि अपील में दण्डादेश निरस्त / अपास्त किया गया हो, तो उन्हें पात्रता होगी।
3. कैलेण्डर वर्ष के दौरान (01 जनवरी 2023 से 30 सितम्बर 2023 के मध्य) वर्ष में शाखा के निरीक्षण / भौतिक सत्यान में स्कंध कमी की गंभीर त्रुटि परिलक्षित होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता नही होगी।
4. कैलेण्डर वर्ष के दौरान (01 जनवरी 2023 से 30 सितम्बर 2023 के मध्य) जिन अधिकारी / कर्मचारियों पर रूपये 10,000/- (अक्षरी – दस हजार रूपये) तक की भण्डारण हानि प्रकरण में वसूली आदेश जारी किया गया है, उन्हें पात्रता होगी, किन्तु भण्डारण हानि की वसूली आदेश राशि 10,000/- से अधिक होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
5. यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को भण्डारण हानि के प्रकरण में एक बार प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, तो उन्हें पिछले प्रकरण के कारण, प्रोत्साहन राशि से वंचित नहीं किया जायेगा।
6. छः माह से अधिक निरंतर अवकाश पर रहे अधिकारी / कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
7. निलंबित अधिकारी / कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
8. जिन कर्मचारियों को बोनस की पात्रता होगी उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

अतएव निगम में दिनांक 30.09.2023 तक कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति / संविदा / जॉबवर्क सहित) को उपरोक्त शर्तो के अधीन, ''प्रोत्साहन स्वरूप'' 01 माह का मूल वेतन (मार्च 2023 की स्थिति में) के बराबर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति, प्रदान की जाती है।

प्रबंध संचालक

क्रमांक/10394 /छगवेका/स्था0(BOD -4)/2023–24/नवा रायपुर दिनांक– 29.9.23

<u>प्रतिलिपि</u> :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/वै0भ0गु0नि0) नोडल अधिकारी (आई0टी0), कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
5. वेतन शाखा/भविष्य निधि छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर।
6. समस्त शाखा प्रबंधक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
7. प्रोग्रामर, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर को निर्देशित है, कि इस आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक